

कार्यालय ग्राम पंचायत-
विकास स्थग्न सादात
जनपद-
प्रांत-

रामदासपुर
गांधीपुर

दिनांक

विषय:- जल जीवन मिशन (झर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

सामग्री

अवगत कराना ह कि दिनांक 12/6/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली वैठक की गयी। वैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्षदिक/जूँहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाडी कार्यकर्ता/समायिका, कांटेदार, ५०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जायन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के गुखिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हरताक्षरित सहमति पत्र।

ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत-
विंखो-सादात, गांधीपुर

M.P.Singh
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

मवदाय
12/6/23
प्रधान सुनीता देवी
ग्राम पंचायत-रामदासपुर
न्याय पंचायत-भीमापार
ग्राम प्रधान सादात, जिला-गांधीपुर

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम समा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 12-06-93

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 10-07-93

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: रामधासपुर

ग्राम पंचायत का नाम:

द्वारका का नाम: सापाठी

जिला का नाम: शाखीपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और 5 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन जियमित आधार पर अर्थात् 8 घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 24 तक 31.4 शामिल परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पैपल रूपटला रामेश्वर

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: सुनीता देवी

लिंग: महिला

आयु: 49

प्रधान सचिव (द्वितीय)
प्रधान सचिव (द्वितीय)
प्रधान सचिव (द्वितीय)
प्रधान सचिव (द्वितीय)


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)

III. सामान्य विवरण

6.

2011 को जनसंख्या के अनुसार:
 जनसंख्या 142344
 प्रत्यापद्वयी संख्या 20146
 मानविकासी वर्ग संख्या 656
 परस्ती की जनसंख्या 136
 वट्टी की संख्या 9444
 एकलहृदयीय संख्या की संख्या


वर्तमान जनसंख्या 1402
 प्रत्यापद्वयी संख्या 253
 मानविकासी वर्ग संख्या 206
 परस्ती की जनसंख्या 100
 वट्टी की संख्या 602
 एकलहृदयीय संख्या

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 16.32 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
 - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 120 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 615

9. कृषि फसल पैटर्न:

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 170 से 17511. स्थलाकृति (समतल, ढालान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या सासाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र. सं	सामाजिक संस्कार का नाम	क्या एक एवं दो सो. क्या वर्षा व्यवस्था सारचना	सो. स्थल गड्ढों की
1.	सामाजिक संस्कार	उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)
2.	आगनवाड़ी		
3.	समाजसेवा		
4.	ग्राम-पंचायत अवस्था	<u>इसी</u>	
5.	ग्रामवासी		



पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 71.86 के.एल.डी.
मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 40 के.एल.डी.
मवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: 3
मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 120 के.एल.डी.
अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 43 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/भकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता को सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेन गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त: नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: हैंडा, मलेरिया, डोरिया, टापामाइक्ट-

पानी की गुणवत्ता

20. फ़ील्ड परीक्षण किट / बायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: _____

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

संपर्क	संरक्षण	परियास
पर्सोन	पर्सोन	पर्सोन
गरीब	गरीब	गरीब
प्रथम लक्षण	प्रथम लक्षण	प्रथम लक्षण
प्रथम दोस्त	प्रथम दोस्त	प्रथम दोस्त
उत्तराहिं	उत्तराहिं	उत्तराहिं
अदोस्त	अदोस्त	अदोस्त
प्रथम दोस्त	प्रथम दोस्त	प्रथम दोस्त
आवाशील क्लब रिं	आवाशील क्लब रिं	आवाशील क्लब रिं
गोपनीय	गोपनीय	गोपनीय
तापाहुली	तापाहुली	तापाहुली
प्रथम दोस्त	प्रथम दोस्त	प्रथम दोस्त
अस्पनिक (हाउस्पॉट में)	अस्पनिक (हाउस्पॉट में)	अस्पनिक (हाउस्पॉट में)
	दृश्य रूप संरक्षण	दृश्य रूप संरक्षण

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

अवस्थिति का नाम	स्रोत की संख्या	स्रोतों

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं) **नहीं**

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): ५१.१६ के.एल.डी.

अलग-अलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 5

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सौख्यता गड़दों की आवश्यकता है: 12

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड़दों की संख्या : 3

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ / नहीं): 6 / 0

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: उत्तरी नदी

V तक आपरिंग गोवडा

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग तकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
 - सिन्हा सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जे.एप्कान्ट/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारत जल स्रोत: हिंदुसील तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: लख द्विवन मेक्सन १५

इस योजना के लिए अभिनिधारित भूमि: पर्वती में पंचागत द्वारा नेशनल शामि

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024

योजना की लागत: २.६६ भारत सरकार का हिस्सा: ✗ राज्य का हिस्सा: ✗

समुदाय का हिस्सा: १०४ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्याकरणगत धरलू मासक जल शुल्क:
प्रति रुपये _____ दोईं साथ बांधते हो तो भवित्वापि

प्रयोगकर्ता शुल्कः _____ काहू दूसरे वसावट हा ता, जामानधारत
पीड़न्या प्रमः _____

• VI सेल-लोन

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. गोजन की वास्तु	केन्द्र/राज्य सरकारी कृषि विभाग	प्रभावित ग्रामीणया जा मुख लौटी जा सकती है। इसके लिए उपचार देखें।	प्रस्तोता निषि
स्वच्छ शहर, प्रदूष-व्यापार (एसवीएसटी)	प्रधानमंत्री स्वच्छता विभाग जल ध्वनि मंत्रालय	प्रधानमंत्री स्वच्छता विभाग (द्व्यक्तिगोत्र / सम्प्रदायेव) भविश्यन्त तकष्ट नालाव आदि।	प्रस्तोता निषि
उच्च जीव जीवन का जीव	ग्रामीण विकास विभाग	प्रशासक समाजी अधिकारी जै से व्यक्ति व्यक्ति का विवरण देखें।	प्रस्तोता निषि



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आरडब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, महाकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकत्रीफसल से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय	आरडब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (टी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांस्थिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्गाम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

आध्यक्ष का हस्ताक्षर: मुमीता देवी

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: स्त्रीला राम

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): स्त्रीला राम

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:


पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. स्त्रीला देवी ————— 9569628730
2. भृषुपाला देवी ————— 9899110901
3. स्त्रीला देवी ————— 98986031
4. मगता ————— 9651889640
5. जाला ————— 9115691824

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
विठ्ठल-सादात, गाजीपुर


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)


प्रधान सुनीता देवी
ग्राम पंचायत-रामदासपुर
न्याय पंचायत-भीमपार
विठ्ठल- सादात, जिला-गाजीपुर